भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1509

जिसका उत्तर 13.02.2025 को दिया जाना है

राजस्थान में सड़कों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

1509. श्री राहुल कस्वां:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में चालीस हजार किलोमीटर से अधिक लम्बी सड़कें बहुत खराब और जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं, जिसके कारण यातायात जाम और दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है तथा आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एनएचएआई द्वारा अनुरक्षित ऐसी सड़कों की लंबाई कितनी है; और

(ग) क्या सरकार यातायात और परिवहन सुविधाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए कोई उपाय करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार के प्रबंधन और नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाली सड़कों की खराब और जीर्ण-शीर्ण लंबाई की स्थिति के संबंध में डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम तदनुसार आपसी प्राथमिकता, यातायात सघनता, निधि की उपलब्धता और पीएम गति शक्ति रूपरेखा के साथ तालमेल के आधार पर किया जाता है ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा सके।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 10,733 किमी है, जिसमें से 7,111 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंपी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के उन खंडों का रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर), जहां विकास कार्य शुरू हो चुके हैं या संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतें/संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) अनुबंध दिए गए हैं, वहां दोष देयता अवधि (डीएलपी)/रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतकर्ताओं/ ठेकेदारों की जिम्मेदारी है।

शेष राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लिए, सरकार ने निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) के लिए आवंटित निधि और किए गए व्यय और सौंपे गए और निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

सड़क सुरक्षा के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा और यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए की गई पहलों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुरक्षा उपायों के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निरंतर सुधार/उन्नयन/विकास, सड़क प्रयोक्ताओं की सुविधा के लिए विश्राम क्षेत्र, बस ले-बाय, ट्रक ले-बाय आदि जैसी परियोजना सुविधाओं का प्रावधान शामिल है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी 'राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल)' के माध्यम से योजना/डिजाइन चरण से ही राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक 40 किमी से 60 किमी के अंतराल पर मार्गस्थ सुविधाएं (डब्ल्यूएसए) के विकास की परिकल्पना की है।

'राजमार्गयात्रा' ऐप राजमार्ग, टोल प्लाजा, आस-पास की सुविधाओं जैसे पेट्रोल पंप, अस्पताल, चार्जिंग स्टेशन, मौसम अपडेट आदि जैसी आस-पास की सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है । यह सूचना नागरिकों को उचित निर्णय लेने और अपनी यात्रा की प्रभावी ढंग से योजना बनाने में सक्षम बनाता है। ऐप को निर्बाध टोल भुगतान के लिए फास्टैग सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है और यह ऐप व्यापक पहुँच के लिए बहुभाषी सहायता प्रदान करती है। ऐप सुरक्षित ड्राइविंग आदतों को बढ़ावा देने के लिए ऐप गति सीमा अलर्ट और वॉयस सहायता बढ़ाने की कार्यक्षमता प्रदान करती है। यह प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों को राजमार्ग या टोल प्लाजा संचालन, गड्ढों और रखरखाव, अनधिकृत कब्जे, सुरक्षा खतरों आदि के लिए जियो-टैग की गई फोटो(इमेज) या वीडियो साक्ष्य के साथ आसानी से समस्याओं की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।

अनुबंध-I

"राजस्थान में सड़कों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति" के संबंध में श्री राहुल कस्वां द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1509 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित निधि और किए गए व्यय का विवरण।

वर्ष	आवंटन (करोड़ रुपए में)	व्यय (करोड़ रुपए में)
2021-22	11353	11353
2022-23	9719	9719
2023-24	8874	8874
2024-25*	4997	4481

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) पर आवंटित निधि और किए गए व्यय का विवरण।

वर्ष	आवंटन (करोड़ रुपए में)	व्यय (करोड़ रुपए में)
2021-22	146	146
2022-23	297	297
2023-24	619	619
2024-25*	847	798

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य में सौंपे गए और निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का विवरण।

वर्ष	सौंपे गए (किमी में)	निर्मित((किमी में)
2021-22	516	722
2022-23	1034	715
2023-24	531	868
2024-25**	98	723

** 31.01.2025 तक

अनुबंध-II

"राजस्थान में सड़कों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति" के संबंध में श्री राहुल कस्वां द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1509 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सड़क सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार**,** सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण: -

(1) शिक्षा:

i. सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सड़क सुरक्षा प्रचार व्यवस्था योजना लागू की गई है।
ii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह मनाना।
iii. पूरे देश में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना हेतु एक योजना लागू करना।

(2) इंजीनियरिंग

2.1 सड़क इंजीनियरिंग

i. सभी राजमार्गों का तृतीय पक्ष के लेखा परीक्षक/विशेषज्ञों के माध्यम से सड़क सुरक्षा ऑडिट सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता।
iii. मंत्रालय के अधीन आने वाली सड़क स्वामित्व एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को आरएसए और अन्य सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख करने के लिए नामित किया गया है।
iv. पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना शुरू की गई है।
v. एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतकों के प्रावधान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन मिल सके।
vi. सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में विफल रहने के बारे में मोटर यान अधिनियम, 1988 में प्रावधान किए गए हैं।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहल की गईं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान।
ii. मोटर साइकिल पर सवारी करने या उस पर ले जाए जाने वाले चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित निर्धारित मानदंड। इसमें सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को भी निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखा गया है।
iii. निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के फिटमेंट के लिए अनिवार्य प्रावधान: -

एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:

- ड्राइवर और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)
- सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड
- अति रफ्तार चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

- रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल है] एम [यात्रियों को परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)।

v. दो पहिया, तिपहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल, एंबुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति सीमित करने वाली विशिष्टता/गति सीमित करने वाला उपकरण अनिवार्य किया गया।

vi. स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए गए, जो स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। नियमों में 31.10.2022 और 14.03.2024 को और संशोधन किया गया है।

vii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की गई और पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया।

viii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांचने के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की योजना।

ix. यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा को शुरू करने और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए भारत न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

x. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बसों के विनिर्माण के क्षेत्र में निर्धारित समान अवसर के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

xi. 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित एन2 (3.5 टन से अधिक लेकिन 12.0 टन से अधिक नहीं सकल वाहन भार वाला माल वाहन) और एन3 (12.0 टन से अधिक सकल वाहन भार वाला माल वाहन) श्रेणी के वाहनों के केबिन के लिए अनिवार्य एयर कंडीशनिंग प्रणाली लगाना अनिवार्य।

xii. 01 अप्रैल, 2025 से एम, एन और एल7 श्रेणी के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबलियों, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और नियंत्रण प्रणाली संस्थापन के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान करने के लिए सुरक्षा बेल्ट, नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमांइडर के मानकों के संशोधन के लिए नियम प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहनों को एआईएस-145-2018 के अनुसार आगे की ओर वाली सभी पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करना होगा।

(3) प्रवर्तन

i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान करता है।

ii. सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम जारी किए गए। ये नियम भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत आने

वाले शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च सघनता वाले गलियारों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाने के लिए विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं।

iii. 10 जून, 2024 को सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी जारी की है।

(4) आपातकालीन देखभाल:

i. ऐसे नेक व्यक्ति (गुड समारिटन) की सुरक्षा के लिए नियम प्रकाशित किए गए हैं, जो सद्भावनापूर्वक, स्वेच्छा से और किसी पुरस्कार या मुआवजे की अपेक्षा के बिना दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करता है या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है।

ii. हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया गया (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक)।

iii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर पर टोल प्लाजा पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस का प्रावधान किया है।

iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ मिलकर चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पुडुचेरी और असम में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नगदीरहित उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम लागू किया है।

*****